कार्यालय–भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4(1)(बी) के अन्तर्गत उल्लिखित 16 श्रेणियों का मैनुअल।

1– संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य

भूमि अध्याप्ति निदेशालय की स्थापना उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या–7–4(9)/86–114–रा0–13, दिनांक 04 जुलाई, 1987 द्वारा राजस्व परिषद के अधीन की गई। इस शासनादेश द्वारा निदेशक, भूमि अध्याप्ति को भूमि अध्याप्ति सम्बन्धी मामलों में निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया गया है एवं रूटीन मामलों में सीधे शासन से पत्र व्यवहार करने हेतु अधिकृत किया गया है। नीति विषयक मामले राजस्व परिषद के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था की गई है।

वर्तमान समय में भूमि अध्याप्ति निदेशालय द्वारा शासनादेश दिनांक 04 जुलाई,1987 तथा समय–समय पर इसमें किये गये संशोधनों के अनुसार भूमि अध्याप्ति सम्बन्धी कार्य किया जा रहा है। शासनादेश संख्या–824/1–13–2008–7–4(9)/86–114–रा0–13, दिनांक 11 जून, 2008 द्वारा उक्त शासनादेश में संशोधन करते हुए प्रदेश में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम के अन्तर्गत गठित औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा अन्य अधिकारी, जो अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी से निम्न स्तर के न हों, को निदेशक, भूमि अध्याप्ति में निहित समस्त भू–अध्याप्ति कार्यों के निर्वहन हेतु अधिकृत किया गया है।

शासनादेश संख्या–45/एक–13–2014–7क(4)14 टी0सी0 दिनांक 14 मार्च, 2014 में भूमि अर्जन के सम्बन्ध में परामर्श दिया गया है। परामर्श से स्पष्ट है कि जिन प्रकरणों में धारा–4 की अधिसूचना जारी हो गयी है उनमें 1894 के अधिनियम के अनुसार विहित प्रकिया द्वारा भू–अर्जन की कार्यवाही पूरी की जायेगी किन्तु प्रतिकर का अवधारण नये अधिनिवम, 2013 (धारा–26 से 30 सपठित प्रथम अनुसूची) के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा और ऐसे मामलों में प्रदेश में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 17.8.2010, 03.9.2010 एवं 02.6.2011 द्वारा अनुमन्य लाभ देय होंगे।

नवीन अधिनियम, 2013 की धारा–24(1)(ख) में प्रावधान है कि जहां भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–11 के अधीन कोई अधिनिर्णय किया गया है, वहां ऐसी कार्यवाहियां उक्त भूमि अर्जन अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उसी प्रकार जारी रहेगी मानो उक्त अधिनियम निरसित नहीं किया गया है।

भारत सरकार द्वारा पुराने भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 को निरसित करते हुए "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" (अधिनियम संख्या–30 सन् 2013) अधिसूचित किया गया है, जो दिनांक 01.1.2014 से प्रभावी हो गया है। नये अधिनियम के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् है:–

1– अर्जन निकायों एवं किसानों (हितबद्ध परिवारों) के हितों एवं अधिकारों में बेहतर संतुलन एवं सामंजस्य स्थापित करना।

2– भूमि के प्रतिकर के निर्धारण के अतिरिक्त पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की व्यवस्था को कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित करना।

3– भूमि अधिग्रहण का प्रयोग उन्हीं परिस्थितियों तक सीमित जहां लोक प्रयोजन की महत्वपूर्ण परियोजनाओं का कियान्वयन किया जाना हो। भारत सरकार द्वारा लागू अधिनियम को भारत सरकार के असाधारण गजट में प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति जनसामान्य के सूचनार्थ प्रदर्शित है।

भूमि अध्याप्ति निदेशालय का कार्यालय उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अनुभाग–10 के रूप में स्थापित है। निदेशालय स्तर पर मुख्य रूप से प्रदेश की कुल 49 भूमि अध्याप्ति इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों की स्थापना का कार्य विभिन्न सेवा नियमावलियों एवं समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार किया जाता है।

इसके अतिरिक्त निदेशालय स्तर पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन आहरण–वितरण, स्थापना का कार्य सम्पादित किया जाता है। निदेशालय को विभिन्न मदों में प्राप्त बजट के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाती है तथा आय–व्यय का लेखा रखा जाता है।

2 व 3 अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य/विनिश्चय करने की प्रकिया में पालन की जाने वाली प्रकिया, जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है:–

विभिन्न भूमि अध्याप्ति इकाइयों से प्राप्त भूमि अध्याप्ति प्रस्तावों का परीक्षण निदेशालय में तैनात भूमि अध्याप्ति अमीनों द्वारा किया जाता है तथा उनकी परीक्षण टिप्पणी पर विशेष कार्याधिकारियों द्वारा भूमि अध्याप्ति अधिनियम, मैनुअल एवं शासनादेशों के कम में प्रति–परीक्षण कर पत्रावलियाँ, उप भूमि व्यवस्था आयुक्त (भू0अ0) को, प्रेषित की जाती है। उप भूमि व्यवस्था आयुक्त (भू0अ0) द्वारा सम्बन्धित पत्रावलियाँ अपनी टिप्पणी सहित आयुक्त एवं निदेशक (भू0अ0) को भेजी जाती हैं। आयुक्त एवं निदेशक की स्वीकृति/अनुमोदन के उपरान्त प्रस्ताव शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को प्रेषित किये जाते हैं। पत्रावलियों में कमियाँ व त्रुटियाँ पाये जाने पर उनके निराकरण हेतु भू अर्जन प्रस्ताव सम्बन्धित जिलाधिकारी/भू–अर्जन अधिकारी को वापस किया जाता है। निदेशालय स्तर पर प्रस्तावों के परीक्षण हेतु तैनात भूमि अध्याप्ति अमीनों और विशेष कार्याधिकारियों को मण्डलवार कार्यों का आवंटन किया जाता है। भूमि अध्याप्ति प्रस्तावों सम्बन्धी निदेशालय स्तर पर खोली गई पत्रावलियों का रख–रखाव सम्बन्धित अमीन द्वारा किया जाता है।

भूमि अध्याप्ति इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों से सम्बन्धित स्थापना का कार्य, नजारत सम्बन्धी कार्य, पत्राचार एवं प्रेषण सम्बन्धी कार्य, शिकायतों पर जाँच सम्बन्धी कार्य, आडिट आपत्तियों के निस्तारण का कार्य, मा0 न्यायालयों में योजित याचिकाओं में प्रतिशपथ पत्र दाखिल कराने का कार्य, महत्वपूर्ण सन्दर्भों, संसद एवं विधान मण्डल प्रश्नों के निस्तारण का कार्य, सामयिक विवरण पत्रों के संकलन का कार्य निदेशालय में तैनात सहायकों द्वारा कार्य वितरण आदेश के अनुसार सम्पादित किया जाता है तथा इन कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियाँ आवश्यकतानुसार अनुभाग अधिकारी के माध्यम से उपायुक्त (भूमि अध्याप्ति) राजस्व परिषद एवं आयुक्त एवं निदेशक को प्रेषित की जाती हैं। अनुभाग में तैनात कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण अनुभाग अधिकारी द्वारा किया जाता है।

4–कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमानः–

निदेशक, भूमि अध्याप्ति द्वारा नीति विषयक निर्णय लेने के लिए प्रकरण उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद को प्रेषित किया जाता है। अन्य रूटीन मामलों में निदेशालय स्तर से निर्णय किया जाता है। तात्कालिक एवं लोक महत्व के तथा शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों पर विशेष ध्यान देकर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराया जाता है तथा अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों पर पर्याप्त नियंत्रण रखते हुए नियमानुसार निदेशालय को प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकरणों पर कार्यवाही/निस्तारण सुनिश्चित कराया जाता है।

5–अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेखः–

1– भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013
2– भूमि अध्याप्ति से सम्बन्धित महत्वपूर्ण शासनादेशों का संकलन 1985 व 1995
3– राज्य सरकार द्वारा यथा अंगीकृत राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, 2003 एवं समय–समय पर निर्गत शासनादेश/परिषदादेश
4– भूमि अध्याप्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेश तथा परिषदादेश
5– उत्तर प्रदेश भूमि अर्जन (राजस्व विभाग) अमीन सेवा नियमावली, 1993 यथा संशोधित (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2011
6– उत्तर प्रदेश भूमि अर्जन (राजस्व विभाग) लिपिकवर्गीय सेवा नियमावली, 1993 यथा संशोधित (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2011
7– उत्तर प्रदेश भूमि अर्जन (राजस्व विभाग) ड्राईवर सेवा नियमावली, 1992
8– उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग (भूमि अर्जन) समूह "घ" सेवा नियमावली, 1992

6– ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरणः–

1– भूमि अध्याप्ति प्रस्ताव सम्बन्धी पत्रावलियाँ
2– मासिक विवरण पत्रों सम्बन्धी पत्रावली
3– भूमि अध्याप्ति इकाइयों में कार्यरत लिपिकों, अमीनों, अहलमदों, लेखा लिपिकों, प्रधान लिपिकों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं ड्राईबरों के सेवा सम्बन्धी प्रकरणों की पत्रावलियां।
4– प्राप्त शिकायतों पर जाँच सम्बन्धी पत्रावलियाँ
5– बजट, आय व्यय सम्बन्धी पत्रावली
6– निदेशालय स्तर पर तैनात कर्मचारियों से सम्बन्धित वेतन पंजिका तथा व्यक्तिगत पत्रावलियाँ, जी0पी0एफ0 पासबुक एवं सेवा पुस्तिकाएँ
7– पत्र व्यवहार पंजिका, डाक बही
8– पत्रावली खोलने की पंजिका
9– रिट याचिकाओं से सम्बन्धित पत्रावलियाँ
10– सूचना का अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित पत्रावली
11– विभिन्न सहायकों द्वारा अन्य कार्यों के लिए खोली गई पत्रावलियाँ
12– भूमि अर्जन की नीति विषयक पत्रावली
13– महत्वपूर्ण परिषदादेशों एवं शासनादेशों की गार्ड फाइल

7– किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैः–

भूमि अध्याप्ति निदेशालय स्तर पर ऐसे किसी कार्य को करने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसमें लोक सदस्यों से परामर्श या उनके अभ्यावेदनों की आवश्यकता पड़ती हो।

8– बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हैं और जिनकी स्थापना उसके भाग के रूप में अथवा उसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गई हो और यह विवरण कि क्या इन बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिए खुली है अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिए सुलभ हैः–

भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश के अधीन कार्य करता है। निदेशालय स्तर पर तथा इसके अधीनस्थ कोई बोर्ड, परिषद/समिति या निकाय गठित नहीं है।

9– अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका तथा 10–प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसके अन्तर्गत प्रतिकर प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो:–

भूमि अध्याप्ति निदेशालय में मार्च, 2014 में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनकी कुल परिलब्धियों का विवरण निम्नवत् है :–

क्रम सं0	नाम:–अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	कुल परिलब्धियां
1	2	3	4
1	श्री अनिल कुमार अग्निहोत्री	तहसीलदार/विशेष कार्याधिकारी	62066.00
2	श्री त्रिवेणी प्रसाद वर्मा	विशेष कार्याधिकारी	53246.00
3	श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह	विशेष कार्याधिकारी	53246.00
4	श्री संजय कुमार	विशेष कार्याधिकारी	49865.00
5	श्री देश दीपक सिंह	विशेष कार्याधिकारी	51252.00
6	श्री भभूती प्रसाद	अनुभाग अधिकारी	52286.00
7	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	समीक्षा अधिकारी	43065.00
8	श्री अरविन्द चन्द्र राय	समीक्षा अधिकारी	43065.00
9	श्री अभिषेक कुमार सिंह	समीक्षा अधिकारी	43265.00
10	श्री अशोक कुमार चतुर्थ	समीक्षा अधिकारी	45875.00
11	श्री वीरेन्द्र कुमार दीक्षित	सहायक समीक्षाधिकारी	48882.00
12	श्री विवेक मित्ताल	सहायक समीक्षाधिकारी	48882.00
13	श्री राकेश कुमार मिश्रा	आशुलिपिक	40104.00
14	श्रीमती चन्द्रिका दीक्षित	आशुलिपिक	43446.00
15	श्री राजकमल सिन्हा	आशुलिपिक	42324.00
16	श्री मो0 नसरूल्लाह	अहलमद	37664.00
17	श्री सुरेन्द्र कुमार सक्सेना	अहलमद	37664.00
18	श्री जगदीश राम	अहलमद	31683.00
19	श्री रामचन्द्र श्रीवास्तव	अहलमद	28158.00
20	श्री महेश चन्द्र श्रीवास्तव	अहलमद	28614.00
21	श्री राकेश कुमार सिंह	लिपिक	23402.00
22	श्री गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव	लिपिक	25727.00
23	श्री पूरन चन्द्र जोशी	अनीन	30331.00
24	श्री उपेन्द्र	वाहन चालक	34973.00
25	श्री महेश प्रसाद	वाहन चालक	28451.00
26	श्री रामसूरत तिवारी	वाहन चालक	29411.00
27	श्री मंसूर अली	वाहन चालक	28967.00
28	श्री रामपाल	चेनमैन	25326.00
29	श्री कन्हई लाल	चेनमैन	25548.00
30	श्री कैलाश चन्द्र जोशी	चेनमैन	21209.00
31	श्री बलवान सिंह	चेनमैन	19976.00
32	श्री मायाराम	चपरासी	22896.00
33	श्री देवराज	चपरासी	23106.00
34	श्री सूचित सिंह	चपरासी	24043.00
35	श्री श्रीचरन यादव	चपरासी	24096.00

11– सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजटः–

इस निदेशालय के अधीन कोई अभिकरण (एजेन्सी) कार्यरत नहीं है। इसके अन्तर्गत कोई योजना भी संचालित नहीं है।

12– सहायिकी (सब्सिडी) कार्यकमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यकमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं:–

भूमि अध्याप्ति निदेशालय स्तर पर किसी सहायिकी कार्यक्रम का संचालन/निष्पादन नहीं किया जाता है।

13– अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञा पत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँः–

भूमि अध्याप्ति निदेशालय स्तर से किसी भी प्रकार की रियायत, अनुज्ञा पत्र या प्राधिकार निर्गत नहीं किया जाता है।

14– किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों:–

भूमि अध्याप्ति निदेशालय स्तर पर कोई भी सूचना इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध या धारित नहीं है, जिसका ब्यौरा दिया जा सके।

15– सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घण्टे सम्मिलित हैं:–

भूमि अध्याप्ति निदेशालय स्तर पर धारित विभिन्न सूचनाओं को सामान्य नागरिकों तथा इच्छुक व्यक्तियों को उपलब्ध कराने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत समुचित व्यवस्था की गई है। निदेशालय स्तर पर जन सूचना अधिकारी तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति की गई है ।

16– लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँः–

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वर्तमान में भूमि अध्याप्ति निदेशालय के जन सूचना अधिकारी, श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, विशेष कार्याधिकारी (भूमि अध्याप्ति) हैं। अपीलीय, अधिकारी श्री हरीश चन्द्र, उप भूमि व्यवस्था आयुक्त, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद हैं।

(हरीश चन्द्र)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त,
कृते आयुक्त एवं निदेशक(भू0अ0)